अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम मसूदा
श्री बाबू बनाम राजस्थान सरकार
किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नंबर 41 सन्..2011

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
8/11/17	प्रार्थी स्वयं उपस्थित। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि उनके पूर्वजो के समय कब्जा काश्त व उपभोग शांतिपूर्ण चला आ रहा है, तथा इसमें चार दीवारी का भी निर्माण किया हुआ है, इसलिये प्रार्थी को विवादित भूमियो से बेदखल नही करे एंव प्रार्थी के कब्जेकाश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करे। तथा राजस्व रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन अप्रार्थी ने प्रार्थना का कोई जवाब प्रस्तुत नही किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा दिनांक 18.05.2011 को स्थगन आदेश भी पारीत किया हुआ है, तथा खसरा नंबर 799/1 प्रार्थी के नाम खातेदारी में जमाबंदी संवत 2065 से 2068 में दर्ज होना अकित है, इसी प्रकार खसरा नंबर 799 में प्रार्थी द्वारा संवत 2062, 2064, 2065, 2066 में प्रार्थी द्वारा विवादित भूमि में काश्त किया जाना पाया गया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के हक में प्रथमदृष्टिया केस व सहुलियत का सन्तुलन व अपूर्णीय क्षति का बिन्दु होना पाया जाता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधि0 अप्रार्थी के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से मूल वाद के निस्तारण तक पाबंद किया जाता है, कि प्रार्थी को विवादित भूमि मौजा हरराजपुरा तहसील मसूदा के खसरा नंबर 799/1 व 799 से बेदखल नही करे तथा उसके शांतिपूर्ण कब्जे उपभोग में बाधा उपस्थित नही करे। मौके एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखेंगे। पक्षकारान खर्चा अपना अपन वहन करे। अतः आदेश सुनाया गया। (सुरेश चावला) आर0ए0एस0 उपखण्ड अधिकारी, मसूदा उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.05 14:31:50 IST
Reason: SelfAttested